न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2022 (विविध)

GCMS No : 2022/34

अनवान

1. श्री कुंजबिहारी शर्मा पुत्र श्री देवीशंकर शर्मा निवासी पाटुनाचौक तहसील ऋषभदेव, उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री देवीशंकर जी शर्मा निवासी पाटुनाचौक तहसील ऋषभदेव, उदयपुर।
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सचिव ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित आदेश 41 नियम 21 एवं धारा 151जा.दीं. विरूद्ध मु.स. 6/2021 मनमोहन बनाम कुंजबिहारी निर्णय दिनांक 28.02.2022

* निर्णय *

दिनांक– 02-02-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ऋषभदेव ने अपने आदेश से पट्टा संख्या 13181 मिसल नम्बर 26/2013 पट्टा जारी करने का आदेश दिनांक 23.12.2014 के विरूद्ध एक निगरानी आप न्यायालय के समक्ष पेश की है जो निगरानी स्पष्ट रूप से मयाद बाहर पेश की गई है तथा इस मामले में मयाद कण्डोन का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है इस कारण आदेश 41 नियम 3–ए के अनुसार सबसे पहले मयाद के बिन्दु पर बहस सुनकर निगरानी मयाद के अन्दर मानी जावे या नहीं इस पर निर्णय किया जाना चाहिए क्योंकि पंचायत एक्ट की धारा 97 के अनुसार कथित रिवीजन में पंचायत समिति के आदेश को या किसी पंचायती राजसंस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख मंगवाकर राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर उस की परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी भी विनिश्चय आदेश को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:33 IST
Reason: SelfAttested

उपान्तरित या बातिल किया उलट दिया तद्नुसार आदेश पारित कर सकता है तथा आप न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने के बाद पेशी दिनांक 06.01.2022 की दी गयी तथा दिनांक 06.01.2022 से कोरोना गाइड लाईन के कारण लॉक डाउन शुरू हो गया था व आइन्दा पेशी दिनांक 03.02.2022 की दी गयी इस दौरान प्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु लॉकडाउन होने से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा इसके बाद प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी जाकर आदेश पारित करते हुए प्रार्थी के हक में किये गये पट्टे को निरस्त करने का आदेश दिया जो कि एकतरफा होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। रजिस्टर्ड एडी से तामील कराने के आदेश नहीं होते हुए भी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने सम्मन दस्ती लेकर प्रार्थी को रजिस्टर्ड एडी से भेजा जो कि कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग होने से काबिल निरस्त के है। नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र की कोई कॉपी नही भेजी गयी। नोटिस के साथ धारा 5 के प्रार्थना पत्र की प्रति नहीं होने से निगरानी का ज्ञान नहीं हो सका । कोरोना महामारी मे बिमारी से ग्रस्त था स्वस्थ होने पर अधिवक्ता से मिला और पता किया तो 28.02.2022 को निर्णय की जानकारी हुयी तथा प्रार्थी की अनुपस्थिति में एक तरफा कार्यवाही कर पत्रावली में एकतरफा बहस सुनी जाकर प्रार्थी के हक में जारी पट्टा संख्या 13181 को निरस्त कर दिया जो कि प्रार्थी की सुनवाई का अवसर दिये बिना की गयी कार्यवाही है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। प्रार्थी वादग्रस्त भूखण्ड का मालिक है परन्तु निगराकार ने गलत तथ्य बताकर आप न्यायालय से एकतरफा गलत निर्णय पारित करा दिया है तथा प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है एवं उसे सुने बिना सही न्याय नहीं किया जा सकता इस कारण उक्त एक तरफा आदेश को निरस्त कराया जाकर प्रार्थी को जवाब का अवसर दिया जाकर प्रार्थी को सुनकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि एकतरफा आदेश दिनांक 28.02.2022 को निरस्त किया जाकर निगरानी को दोतरफा की जाकर प्रार्थी को जवाब का अवसर दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश नहीं किया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं नजीर RBJ 2008 page 354 (sc), RRT 2020page 372, RRT 2018 page 218, RRT 2016-2017 page 20(hc), RRD 2004 [illegible] 9, RRT 2007(2) page 133 SC पेश कर निवेदन किया कि सम्मन को [illegible] रजिस्टर्ड एडी करवाई है। आधा हिस्सा पट्टा का कुंजबिहारी [illegible] का है सभी वारिसों ने हस्ताक्षर कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:38 IST
Reason: SelfAttested

रखे है। मनमोहन ने भी पट्टा लेने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया उसमें मकान का पडौस लिखा है। मुझे भी सुना जाना आवश्यक है। मुझे सुनकर आदेश पारित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि सिविल वाद की डिक्री सेटअसाईट करवाने हेतु आदेश 9 नियम 13 लगती है। निगरानी/अपील में प्रावधान लागु नहीं होते है। 2022 में कोरोना लॉकडाउन नहीं लगा था। केवल हैरान परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज किया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया । मूल पत्रावली संख्या 06/2021 का अवलोकन किया। मूल प्रकरण में दिनांक 28.02.2022 को विपक्षी सं. 1 प्रार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया जिससे रूष्ठ होकर प्रार्थी ने एक पक्षीय निर्णय को अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का पेश किया है। सर्वप्रथम हमे यह देखना है कि उक्त नियम में क्या प्रावधान है? **आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी में प्रावधान है कि :— किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।**

चूंकि प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हे तामील विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दस्ती लेकर बिना न्यायालय के आदेश के रजिस्टर्ड एडी से करवाई है एवं नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र की नकल नहीं भिजवाई गई, कोरोना संक्रमण होने एवं प्रार्थी अस्वस्थ होने से न्यायालय में जवाब/पैरवी करने हेतु उपस्थित नहीं हो पाया एवं प्रकरण एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:33 IST
Reason: SelfAttested

तरफा डिक्री हो गया। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा माननीय न्यायालय की नजीर RRT 2007(2) page 1233 (SC) Nahar Enterprises (m/s) vs. M/s Hyderabad Allwyn Ltd. & Anr. - Code of Civil Procedure, 1908- Order 5 Rule 2 & Order 9 Rule 6(1)(C) Limitation Act, 1963- Article 123- Service of summon - Summon sent to appellant but copy of plaint not given- Appellant did not appear & not filed the written statement - Ex parte decree passed - Application for setting aside the ex-parte decree rejected - Order upheld by High Court - Non- complaince of the provisions of Order 5 Rule 2 & Order 9 Rule 6(1)(c)- Held, Rejecting application was not justified- Ex-parte decree set aside. उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है।

मूल प्रकरण में अप्रार्थी मनमोहन शर्मा ने आबादी भूमि का पट्टा संख्या 13181 दिनांक 23.02.2014 जो कि प्रार्थी श्री कुंजबिहारी शर्मा को जारी किया गया था उसे निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई थी। चूंकि उक्त निगरानी में पट्टाधारी विपक्षी श्री कुंजबिहारी शर्मा होकर हितधारी पक्षकार है इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप हितधारी को सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित आदेश 41 नियम 21 एवं धारा 151जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर न्यायालय के मूल पत्रावली संख्या 06/2021 अनवान श्री मनमोहन शर्मा बनाम श्री कुंजबिहारी में निर्णय दिनांक 28.02.2022 को अपास्त किया जाता है तथा मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में उभय पक्षकारान सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2023 को न्यायालय में उपस्थित रहे। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल प्रकरण के साथ संलग्न रहे। मूल प्रकरण वास्ते सुनवायी दिनांक 24.02.2023 को पेश हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.02.06 13:46:33 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर